[2013] 5 एस.सी.आर. 687

रमेश चंद्र शाह एवं अन्य

बनाम

अनिल जोशी एवं अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 2802-2804)

3 अप्रैल 2013

[जी.एस. सिंघवी और कुरियन जोसेफ, जे.जे]

सेवा विधि - चयन - की प्रक्रिया - चुनौती - आपत्ति के अधिकार की अधित्याग - अभिनिर्धारित किया गया: जो व्यक्ति जानबूझकर चयन की प्रक्रिया में भाग लेता है, वह इसके बाद चयन की विधि और उसके परिणाम पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। चूंकि निजी प्रत्यर्थियों ने चयन की प्रक्रिया में इस बात की पूरी जानकारी के साथ भाग लिया कि भर्ती सामान्य नियमों के तहत की जा रही है, उन्होंने विज्ञापन या चयन के लिए अपनाई गई पद्धति पर प्रश्न उठाने का अधिकार त्याग दिया था - लिखित परीक्षा में शामिल होने और सफल घोषित होने का मौका लेने के बाद, माना जाएगा कि उन्होने विज्ञापन और चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने के उनके अधिकार का त्याग कर दिया है - निजी प्रत्यर्थियों का आचरण स्पष्ट रूप से उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष मांगने से वंचित करता है - उच्च न्यायालय ने उनकी शिकायत पर विचार करके गंभीर त्रुटि की है - उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण विभाग फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक सेवा नियम, 1998 (विशेष नियम) - उत्तराखंड समूह 'सी' पदों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नियम, 2008 के दायरे से बाहर (सामान्य नियम) - उत्तर प्रदेश समूह 'सी' पदों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) नियमावली 1998 - सिद्धांत - अधित्याग का सिद्धांत।

समाचार पत्र में प्रकाशित एक विज्ञापन के अनुसरण में, अपीलार्थियों और निजी प्रत्यर्थियों ने फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए एवं और लिखित परीक्षा में शामिल हुए। अपीलार्थियों को सफल घोषित किया गया और वे विज्ञापित पदों पर नियुक्त होने के हकदार बन गए। निजी प्रत्यर्थियों, जो परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहे, ने विज्ञापन और चयन की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि विज्ञापन और उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया परीक्षक उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक सेवा नियम, 1998 ['विशेष नियम'] के प्रावधानों के विपरीत थे।

एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार कर ली और चयन को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया कि उपलब्ध पदों को नए सिरे से विज्ञापित किया जाए। अपील पर, उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ ने माना कि चयन के लिए मौका लेने के बाद, निजी प्रत्यर्थियों को चयन की प्रक्रिया

पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। इस निष्कर्ष के बावजूद, डिवीजन पीठ ने निजी प्रत्यर्थियों के आग्रह पर यह निर्देश दिया कि परीक्षा में उपस्थित प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 30% अंक और डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा के लिए 70% अंक जोड़कर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए तथा जिन व्यक्तियो ने डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा में 30% अंक प्राप्त नहीं किए हैं उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए।

हस्तगत अपील में, अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने के निजी प्रत्यर्थियों के अधिकार के मुद्दे पर उनके तर्क को स्वीकार करने के बाद, हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ ने बोर्ड को इंटरमीडिएट और डिग्री/डिप्लोमा योग्यताएं के अंकों को जोड़कर नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश देकर उचित नहीं किया। तथा इसके बावजूद कि आवेदन जमा करने के चरण से ही उन्हें पता था कि चयन समूह "सी" पदों (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) नियम, 2008 (सामान्य नियम) के लिए उत्तराखंड सीधी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है, एकल पीठ और डिवीजन पीठ ने निजी प्रत्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने से इनकार करके गंभीर त्रुटि की।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक थे, जो कि उत्तराखंड राज्य में समूह 'सी' पद है, वे विज्ञापन पढ़ने के बाद इस तथ्य से अवगत हो गए होगे कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.8.2010 के आधार पर, उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भर्ती एजेंसी के रूप में नामित किया गया है तथा चयन समूह "सी" पदों (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) के लिए सीधी भर्ती के लिए उत्तराखंड प्रक्रिया नियम, 2008 [सामान्य नियम] के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। वे यह जानते हुए लिखित परीक्षा में शामिल हुए कि उन्हें विज्ञापन में बताई गई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती, तो निजी प्रत्यर्थियों को बोर्ड द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया या पद्धति पर कोई आपत्ति नहीं होती। उन्होंने शिकायत तब की जब उन्हें पता चला कि उनका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में नहीं है। दूसरे शब्दों में, उन्हें नवंबर 2011 में जारी विज्ञापन के आधार पर बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित होने का मौका मिला। निजी प्रत्यर्थियों का यह आचरण स्पष्ट रूप से उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष मांगने से वंचित करता है। अन्य शब्दो में, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने और सफल घोषित होने का मौका लेने से, निजी प्रत्यर्थियों को विज्ञापन और चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने के अपने अधिकार से वंचित माना जाएगा। यह स्थापित कानून है कि जो व्यक्ति जानबूझकर चयन की प्रक्रिया में भाग लेता है, वह इसके बाद पलटकर चयन की पद्धति

और उसके परिणाम पर प्रश्न नही उठा सकता। [पैरा 17,18] [702-डी-एच; 703-ए-बी]

1.2. चयन की प्रक्रिया में इस बात की पूरी जानकारी के साथ भाग लेने के बाद कि भर्ती सामान्य नियमों के तहत की जा रही है, प्रत्यर्थियों ने चयन के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई विज्ञापन या पद्धति पर प्रश्न उठाने का अपना अधिकार त्याग दिया था और उच्च न्यायालय की एकल पीठ और डिवीजन पीठ ने प्रत्यर्थियों द्वारा की गई शिकायत पर विचार करने में गंभीर त्रुटि कारित की। [पैरा 24] [706-एफ-जी]

मानक लाल बनाम डॉ. प्रेम चंद एआईआर 1957 एससी 425: 1957 एससीआर 575; डॉ. जी. सामा बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय (1976) 3 एससीसी585: 1977 (1) एससीआर 64; ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला (1986) पूरक। एससीसी 285: 1986 एससीआर 855; मदन लाल बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य (1995) 3 एससीसी 486: 1995 (1) एससीआर 908; मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य (2010) 12 एससीसी576 और विजेंद्र कुमार वर्मा बनाम लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड और अन्य (2011) 1 एससीसी 150:2010 (12) एससीआर 944

केस कानून संदर्भ:

1957 एससीआर 575 पैरा 19

1977 (1) एससीआर 64 पैरा 20

1986 एससीआर 855 पैरा 21

1995 (1) एससीआर 908 पैरा 21

(2010) 12 एससीसी 576 पैरा 22

2010 (12) एससीआर 944 पैरा 23

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2802-2804/2013

उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा डब्ल्यू.पी.संख्या 1625/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.05.2012 से उत्पन्न।

2012 का एसए नंबर 77 दिनांक 13.07.2012, 2012 का एसए नंबर 77, 2012 का आरए नंबर 520, 30.07.2012 का एसए नंबर 77, 2012 का आरए नंबर 599।

पल्लव शिशोदिया, चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, रवीन्द्रकुमार, रचना श्रीवास्तव, राहुल वर्मा, बी.के. पाल, रवीन्द्र एस. गरिया पक्षकारो की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय जी.एस. सिंघवी, जे. द्वारा सुनाया गया

1. अनुमति दी गयी।

2. उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (संक्षेप में, 'द बोर्ड') द्वारा जारी एक विज्ञापन के अनुसरण में, जो दिनांक 5.5.2011 को समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित हुआ था, अपीलार्थियों और निजी प्रत्यर्थियों ने फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। ये सभी 25.9.2011 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए। अपीलार्थियों को सफल घोषित किया गया और वे विज्ञापित पदों पर नियुक्त होने के हकदार बन गए।

3. निजी उत्तरदाता, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल रहे उन्होनें विज्ञापन और चयन की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए सिविल विविध रिट याचिका संख्या 1625/2011। फाइल की। उन्होंने दलील दी कि विज्ञापन और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक सेवा नियम, 1998 (इसके बाद 'विशेष नियम' के रूप में वर्णित) के प्रावधानों के विपरीत थे।

4. शासकीय प्रत्यर्थियों द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह कहा गया कि चयन समूह "सी" पदों के लिए उत्तराखंड सीधी भर्ती प्रक्रिया (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) नियम, 2008 के अनुसार किया गया था। आगे यह कहा गया कि रिट याचिकाकर्ताओं (यहां निजी प्रत्यर्थियों) के पास विज्ञापन और चयन प्रक्रिया पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने यह भलीभांति जानते हुए कि चयन

सामान्य नियमों के अनुसार किया जा रहा था, आवेदन जमा किए थे और परीक्षा में भाग लिया था।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने शासकीय प्रत्यर्थियों द्वारा की गई आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भर्ती की प्रक्रिया प्रत्यक्ष अवैधता के कारण दूषित हो गई थी और ऐसे मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा न चलाने के लिए अधित्याग के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। गुणावगुण के आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी कि भले ही सामान्य नियमों के नियम 2 में निर्बाध खंड शामिल है, फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती को विनियमित करने वाले विशेष नियम मान्य होंगे और बोर्ड सामान्य नियमों पर भरोसा करके परीक्षण आयोजित करने और परिणाम घोषित करने का हकदार नहीं था। तदनुसार, उन्होंने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और इस निर्देश के साथ चयन को रद्द कर दिया कि उपलब्ध पदों को नए सिरे से विज्ञापित किया जाए।

6. कुछ सफल उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील पर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि चयन का मौका लेने के बाद, निजी उत्तरदाता चयन की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाने के हकदार नहीं थे। इस निष्कर्ष के बावजूद, खंडपीठ ने बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 30% अंक और डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा के लिए 70% अंक जोड़कर चयन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश के लिए आग्रह करने के लिए उत्तरदाताओे को हकदार माना। और यह भी घोषणा कराने का हकदार माना कि डिप्लोमा/डिग्री

परीक्षा में 30% अंक प्राप्त नहीं करने वाले अयोग्य हैं। डिवीजन पीठ के फैसले का प्रवर्तनशील भाग इस प्रकार है:

> "तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं और बोर्ड द्वारा तैयार फिजियोथेरेपिस्ट की संबंधित योग्यता सूची को रद्द करने को बरकरार रखते हुए अपील के तहत फैसले और आदेश को संशोधित करते हैं, लेकिन साथ ही, बोर्ड को उन सभी परीक्षार्थियों को अस्वीकार करने का निर्देश देते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त होने के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन डिप्लोमा परीक्षा में 30% अंक प्राप्त नहीं किए तथा फिजियोथेरेपिस्ट का चयन लिखित परीक्षा में योग्य परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंको में, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 30% अंक और डिप्लोमा / डिग्री परीक्षा के लिए 70% अंक जोड़कर पूरा किया जाए। उक्त अभ्यास को यथाशीघ्र, परंतु बोर्ड को इस आदेश की प्रति प्राप्त करने की तिथि से दो माह से अनधिक समय के भीतर पूरा किया जाए।"

7. चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर पुनरावलोकन आवेदनों को डिवीजन पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन निर्णय दिनांक 2.5.2012 में निहित निर्देश के अनुपालन के लिए निर्धारित समय बढ़ा दिया गया था।

8. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने समकक्षों द्वारा दी गई दलीलों को दोहराया। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पल्लव शिशोदिया ने तर्क दिया कि चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने के निजी प्रत्यर्थियों के अधिकार के मुद्दे पर उनके तर्क को स्वीकार करने के बाद, हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ ने बोर्ड को इंटरमीडिएट और डिग्री/डिप्लोमा योग्यताएं के अंकों को जोड़कर नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश देकर उचित नहीं किया। तथा इसके बावजूद कि आवेदन जमा करने के चरण से ही उन्हें पता था कि चयन समूह "सी" पदों (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) नियम, 2008 (सामान्य नियम) के लिए उत्तराखंड सीधी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है, एकल पीठ और डिवीजन पीठ ने निजी प्रत्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने से इनकार करके गंभीर त्रुटि की। वरिष्ठ वकील ने राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1083/XXXX(2)/2010 दिनांक 3.8.2010 और विज्ञापन के शुरुआती पैराग्राफ का हवाला देते हुए कहा कि चयन सामान्य नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना था। और हर उम्मीदवार को इसकी जानकारी थी।

9. उत्तराखंड राज्य की स्थायी वकील सुश्री रचना श्रीवास्तव ने श्री शिशोदिया के तर्कों को अपनाया और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की

डिवीजन पीठ द्वारा एक बिल्कुल नया मामला बनाना उचित नहीं था, जिसके लिए कोई दलील नहीं थी।

10. निजी प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बोर्ड को लिखित परीक्षा में सुरक्षित अंकों में शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक जोड़कर नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश देकर कोई त्रुटि नहीं की।

11. हमने संबंधित तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों की जांच की है।

12. उत्तराखंड राज्य (जिसे पहले 'उत्तराँचल' के नाम से जाना जाता था) का गठन दिनांक 01.01.2019 को किया गया था। 9.11.2000. नए राज्य के गठन से पहले, फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक के पदों पर भर्ती विशेष नियमों द्वारा शासित होती थी और अन्य समूह "सी" पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश समूह 'सी' पदों (दायरे के बाहर) के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होती थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग) नियमावली, 1998, जो दिनांक 9.6.1998 के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। नए राज्य के गठन के बाद, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में लागू भर्ती और सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों को नए राज्य की सरकार द्वारा अनुकूलन और

संशोधन आदेश 2002 द्वारा अपनाया गया था। 2008 में, उत्तराखंड के राज्यपाल ने उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा विशेष नियमों में संशोधन किया गया। फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए शैक्षणिक और अधिमान्य योग्यताएं, जैसा कि विशेष नियम मे निहित है

"8. शैक्षणिक योग्यताएँ - सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए

(1) फिजियोथेरेपिस्ट - (i) हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

(ii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा हो।

(2) व्यावसायिक चिकित्सक - (i) हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(ii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

9. अधिमानी योग्यता - एक उम्मीदवार जिसने

(i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए सेवा की हो, या

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो

को, अन्य बातें समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी।"

विशेष नियमों के नियम 15 द्वारा, यह निर्धारित किया गया था कि विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती सामान्य नियमों के अनुसार की जाएगी:

"15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया - सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश समूह 'ग' पदों (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया नियम, 1998 के अनुसार की जाएगी। जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।”

13. दिनांक 4.8.2008 की अधिसूचना द्वारा, विशेष नियमो में संशोधन किया गया और मौजूदा नियम 15 को उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

"15(1) सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारी आवेदन पत्र के प्रारूप और रिक्तियों को एक साथ निम्नलिखित तरीके से नोट करेगा:

(i) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके।

(ii) कार्यालय के नोटिस-बोर्ड पर नोटिस चिपकाकर या रेडियो/टेलीविजन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन देकर।

(iii) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके।

(2) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा

(i)नियुक्ति प्राधिकारी   अध्यक्ष

(ii) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, तो अनुसूचित जाति या

अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक के पद से नीचे न हो, को निदेशक जनरल द्वारा नामित किया जाएगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो उस स्थिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य से संबंधित एक अधिकारी को महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा।

(iii) अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक के पद से नीचे का न हो, को महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा सदस्य

(iv) पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक के पद से नीचे का न हो, महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा सदस्य

(3) चयन समिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी।

नियम 6 के अनुसार, आवेदनों की जांच करें।

4(i) चयन के लिए, 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ टाइप-लिखित परीक्षा होगी जिसमें एकल प्रश्न पत्र होगा जिसमें

सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय शामिल होंगे। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करते समय, प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में 1 अंक काटा जाएगा।

(ii) परीक्षा समाप्त होने के बाद, उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका अपने साथ वापस ले जाने की अनुमति होगी

(iii) लिखित परीक्षा के बाद प्रश्न पुस्तिका, व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र, उत्तराखंड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित की जाएगी।

(iv) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी (कार्बन कॉपी सहित) और उम्मीदवारों को डुप्लिकेट कॉपी अपने साथ वापस ले जाने की अनुमति होगी।

(v) उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट परीक्षा और डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के लिए क्रमशः 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे।

(vi) लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक और डिप्लोमा परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए अयोग्य होंगे।

(vii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर चयन समिति द्वारा मेरिट सूची तैयार की जाएगी चयन के लिए परीक्षा कुल 200 अंको की होगी, जिसमें लिखित परीक्षा के 100 अंक, इंटरमीडिएट परीक्षा के 30 प्रतिशत अंक और डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा के 70 प्रतिशत अंक शामिल होंगे।

(5) इसके बाद चयन समिति प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट दक्षता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उतनी संख्या में उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी, जितनी संख्या में वह नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे। यदि अधिक अभ्यर्थी कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा, यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को अनुभाग सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (लेकिन 25 प्रतिशत से अधिक नहीं)

होगी, चयन समिति सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।"

14. सामान्य नियमों का नियम 2, जो कि 1998 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाया गया समरूप नियम है और जिसमें एक गैर-बाधा खंड शामिल है, इस प्रकार है:

"अधिभावी प्रभाव

2.ये नियम किसी भी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।"

15. इस स्तर पर, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.8.2010 की सामग्री और बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के शुरुआती पैराग्राफ पर ध्यान देना भी उपयोगी होगा, जो दिनांक 5.5.2011 के समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था:

कार्यालय ज्ञापन

"उत्तराखण्ड राज्य कार्मिक विभाग-2 नं.1083/XXXX(2)/ 2010 दिनांक 03 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञापन

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर आने वाले समूह 'ग' के दलों पर चयन/भर्ती के लिए चयन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।

प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्त पदों पर अलग-अलग भर्ती/चयन में अधिक समय और श्रम अपेक्षित होगा

इसलिए, उचित विचार के बाद माननीय राज्यपाल उत्तराखंड ने लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर आने वाले रिक्त पदों के संबंध में उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भर्ती एजेंसी के रूप में नामित किया है और यह निर्धारित किया है:

1. इस संबंध में, राज्य, उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायेगा।

2. प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर आने वाले रिक्त पदों की गणना करेगा, और निर्धारित प्रोफार्मा में मांग भेजेगा जिसमें ऊर्ध्वाधर और साथ ही क्षैतिज आरक्षण के लिए आरक्षित पदों की संख्या का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और इसे उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भी प्रदान करना चाहिए।

3. तकनीकी शिक्षा बोर्ड को नियुक्ति प्राधिकारी से ऐसी मांग प्राप्त एक माह के भीतर निर्धारित नियमों के तहत भर्ती के लिए विज्ञापन दें देना चाहिए।

4. तकनीकी शिक्षा बोर्ड, विज्ञापन के प्रकाशन के बाद, समूह 'सी' पदों के लिए सीधी भर्ती (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) नियम 2008 के लिए उत्तराखंड प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार चयन कार्यवाही शुरू करेगा और यथाशीघ्र चयन कार्यवाही पूरी करेगा और अपनी सिफारिश नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(दिलीप कुमार कोटिया)

प्रधान सचिव"

विज्ञापन

"उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरिद्वार (हरिद्वार)-247667

विज्ञापन सं राज्य समूह 'सी' संयुक्त

भर्ती परीक्षा 2011

दिनांक 4 मई 2011

विज्ञापन की तिथि- 04 मई 2011

आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि- 04 जून, 2011

विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया बोर्ड की वेबसाइट पर जाएँ

कार्मिक विभाग-2, उत्तराखंड के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1063/XXX(2) 2010 दिनांक 03.08.2010 के तहत, उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, रूड़की को रिक्त पदों के लिए भर्ती एजेंसी के रूप में चुना गया है। सरकार के विभिन्न विभाग जो लोक सेवा आयोग समूह 'सी' संयुक्त भर्ती परीक्षा-2011 के दायरे से बाहर हैं।"

16. विज्ञापन के पैरा 11 में उल्लिखित चयन की विधि, जो विशेष नियमों से स्पष्ट विचलन थी, इस प्रकार है:

"11. चयन परीक्षा और प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम:- चयन के लिए, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में एकल प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 50 अंकों के प्रश्नों में सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता और उत्तराखंड राज्य के भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास का ज्ञान शामिल होगा और 50 अंकों के प्रश्न आधारित होंगे। संबंधित पद के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता विषय। लिखित परीक्षा दो घंटे की होगी। प्रश्न पत्र

का मूल्यांकन करते समय, प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में अंक काटे जाएंगे।

छंटनी किए गए कर्मचारियों को पूर्ण सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम 15 अंकों तक 5 अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार को अपने साथ उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी के साथ प्रश्न पुस्तिका ले जाने की अनुमति होगी।

लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट uk.gov.in और www.ubter.in पर प्रदर्शित की जाएगी।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में अन्य मूल्यांकनों को जोड़ा जाएगा जिसमें 'छंटनी किए गए कर्मचारियों' के लिए वेटेज अंक और तकनीकी विषय (ग्राम विकास अधिकारी) वाले पद के लिए वेटेज अंक शामिल हैं।

निर्धारित अंकों की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है और ऐसी परीक्षाओं में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में ऐसे अंक या वेटेज जैसा भी मामला हो, जोड़ने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी (अंतिम चयन सूची)। ऐसी सूची में रिक्तियों से अधिक (लेकिन 25% से अधिक

नहीं) नाम शामिल होंगे अंतिम चयन सूची बोर्ड की वेबसाइट uk.gov.in और www.ubter.in पर प्रदर्शित की जाएगी।

यदि दो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा, लेकिन यदि लिखित परीक्षा में भी अंक समान हैं, तो जो उम्र में बड़ा है, उसे योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा।"

17. जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक थे, जो कि उत्तराखंड राज्य में समूह 'सी' पद है, वे विज्ञापन पढ़ने के बाद इस तथ्य से अवगत हो गए होगे कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.8.2010 के आधार पर, उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भर्ती एजेंसी के रूप में नामित किया गया है तथा चयन समूह "सी" पदों (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) के लिए सीधी भर्ती के लिए उत्तराखंड प्रक्रिया नियम, 2008 [सामान्य नियम] के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। वे यह जानते हुए लिखित परीक्षा में शामिल हुए कि उन्हें विज्ञापन में बताई गई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती, तो निजी प्रत्यर्थियों को बोर्ड द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया या पद्धति पर कोई आपत्ति नहीं होती। उन्होंने शिकायत तब की जब उन्हें पता चला कि उनका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में नहीं है।

दूसरे शब्दों में, उन्हें नवंबर 2011 में जारी विज्ञापन के आधार पर बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित होने का मौका मिला। निजी प्रत्यर्थियों का यह आचरण स्पष्ट रूप से उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष मांगने से वंचित करता है। अन्य शब्दो में, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने और सफल घोषित होने का मौका लेने से, निजी प्रत्यर्थियों को विज्ञापन और चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने के अपने अधिकार का त्याग करना माना जाएगा।

18. यह स्थापित कानून है कि जो व्यक्ति जानबूझकर चयन की प्रक्रिया में भाग लेता है, वह इसके बाद पलटकर चयन की विधि और उसके परिणाम पर प्रश्न नहीं उठा सकता है।

19. इस विषय पर सबसे शुरुआती निर्णयों में से एक माणकलाल बनाम डॉ. प्रेम चंद एआईआर 1957 एससी 425 है। उस मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए पेशेवर कदाचार के आरोप पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय आरोप की जांच के लिए गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के पक्षपात के कारण अनुचित था। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष पिछली कार्यवाही में शिकायतकर्ता के लिए उपस्थित हुए थे और इस प्रकार, वह उसके आचरण का न्याय निर्णयन करने के लिए अयोग्य थे। इस न्यायालय ने माना कि उसके विरूद्ध की गई जांच में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की

भागीदारी के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं लेने पर, अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति त्याग दी है। फैसले में की गई कुछ टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

> "......... यदि, वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी श्री छंगाणी की कथित अयोग्यता के बारे में सभी तथ्यों को जानता था और यह भी जानता था कि वह श्री छंगाणी के स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामांकित करने के लिए विद्वान मुख्य न्यायाधीश से प्रभावी ढंग से अनुरोध कर सकता है। और फिर भी उस रास्ते को नहीं अपनाया, यह संभव हेै कि उसने जानबूझकर ट्रिब्यूनल से अपने पक्ष में एक रिपोर्ट प्राप्त करने का मौका लिया और जब उसे पता चला कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई थी तो उसने अपने अधिकारों के बारे में बेहतर सोचा और इस मुद्दे को पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया।
>
> रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने इस मुद्दे को ट्रिब्यूनल के समक्ष कभी नहीं उठाया और जिस तरह से उसने उच्च न्यायालय के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया वह कुछ हद तक ही महत्वपूर्ण है। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर आपत्ति का पहला आधार यह था कि श्री छंगाणी का इसमें शिकायतकर्ता डॉ. प्रेम चंद आर्थिक और व्यक्तिगत हित था।

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशो ने पाया है कि श्री छंगाणी के वर्तमान कार्यवाही में आर्थिक हित के बारे में आरोप पूरी तरह से निराधार है और इस निष्कर्ष को श्री दफ्तरी द्वारा हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह भी पाया है कि अपीलार्थी द्वारा उनके समक्ष आपत्ति केवल नई जांच के लिए आदेश प्राप्त करने और इस प्रकार समय प्राप्त करने के लिए उठाई गई थी...

......चूंकि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी भौतिक तथ्यों को जानता था और उसे उस मामले में उनके कानूनी अधिकारों के मामले में, सचेत माना जाना चाहिए। कार्यवाही के पहले चरण में वर्तमान दलील को लेने में उनकी विफलता उसके खिलाफ अधित्याग की एक प्रभावी बाधा उत्पन्न करती है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ट्रिब्यूनल जिसका गठन किया गया था से अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त करने का मौका लेना चाहता था और जब उसने एक प्रतिकूल रिपोर्ट का सामना किया तो उसने वर्तमान तकनीकी बिंदु को उठाने की युक्ति अपनायी।"

20. डॉ. जी. समा बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय (1976) 3 एससीसी585 में, इस न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी जो चयन समिति

की संरचना के बारे में जानता था और चयनित होने का मौका लिया था, उसके बाद, समिति के गठन पर प्रश्न नहीं उठा सकता।

21. ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला (1986) सप्लिमेंट एससीसी 285 के तहत तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि जब याचिकाकर्ता बिना किसी विरोध के परीक्षा में शामिल हुआ, तो वह परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने का हकदार नहीं है। यही दृष्टिकोण मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1995)3 एससीसी 486 में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया था:

> "याचिकाकर्ता आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा आयोजित मौखिक साक्षात्कार में भी उपस्थित हुए, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित प्रतियोगी प्रत्यर्थियों का भी साक्षात्कार लिया। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को उक्त मौखिक साक्षात्कार में खुद को चयनित करने का मौका मिला। केवल इसलिए कि उन्होंने लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार दोनों में अपने संयुक्त प्रदर्शन के परिणामस्वरूप खुद को सफल नहीं पाया, उन्होंने यह याचिका दायर की है। यह सुस्थापित है कि यदि कोई उम्मीदवार सोच-समझकर मौका लेता है और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो, केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसके लिए सुखद नहीं है, वह पलट नहीं सकता

और बाद में यह तर्क नहीं दे सकता कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति ठीक से काम नहीं कर रही थी। ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जब याचिकाकर्ता बिना किसी विरोध के परीक्षा में उपस्थित हुआ और जब उसे पता चला कि वह परीक्षा में सफल नहीं होगा तो उसने उक्त को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। जांच के बाद, उच्च न्यायालय को ऐसे याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष नहीं देनी चाहिए थी।"

22. मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य (2010) 12 एससीसी 576 में, इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया और कहा:

"हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद यह पूरी तरह से जानते हुए कि मौखिक परीक्षा के लिए 19% से अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं, याचिकाकर्ता चयन के मानदंड या प्रक्रिया को चुनौती देने का हकदार नहीं है। निश्चित रूप से, यदि याचिकाकर्ता

का नाम मेरिट सूची में आया होता तो उसने चयन को चुनौती देने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होता। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल तब किया जब उसे पता चला कि उसका नाम आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में नहीं है। याचिकाकर्ता का यह आचरण स्पष्ट रूप से उसे चयन पर प्रश्न उठाने से वंचित करता है और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करके कोई त्रुटि नहीं की है।"

23. विजेंद्र कुमार वर्मा बनाम लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड और अन्य (2011)एससीसी 150 में भी अधित्याग के सिद्धांत को लागू किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया किया गया था:

"जब लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची ऐसी अधिसूचना में ही प्रकाशित की गई थी, तो यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि साक्षात्कार के समय कंप्यूटर संचालन के बुनियादी ज्ञान के संबंध में उम्मीदवारों के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेशन का ज्ञान होना आवश्यक होगा। कॉल लेटर में भी, जो अपीलार्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाते समय भेजा गया था, उपरोक्त

मानदंडों को दोहराया गया था और लिखा गया था। इसलिए, चयन प्रक्रिया के बीच में कभी भी कोई न्यूनतम बैंचमार्क या नई प्रक्रिया पेश नहीं की गई थी। सभी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया की आवश्यकताओं को जानते थे और यह भी पूरी तरह से जानते थे कि उन्हें कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, जिसका अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेशन। उक्त मानदंड को जानने के बाद, अपीलार्थी भी साक्षात्कार में उपस्थित हुआ, कंप्यूटर एप्लीकेशन के विशेषज्ञ के सवालों का सामना किया और किसी भी स्तर पर बिना किसी विरोध के मौके का फायदा उठाया और अब यह नही कह सकता कि अपनाई गई उपरोक्त प्रक्रिया गलत थी और अधिकार क्षेत्र के बिना थी।"

24. उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुए, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि चयन की प्रक्रिया में पूर्ण ज्ञान के साथ भाग लेने से कि भर्ती सामान्य नियमों के तहत की जा रही थी, प्रत्यर्थियों ने विज्ञापन पर प्रश्न उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया था या चयन करने के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई पद्धति और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन पीठ ने प्रत्यर्थियों द्वारा की गई शिकायत पर विचार करके गंभीर त्रुटि की है।

25. हम भी प्रथम दृष्टया इस विचार से सहमत हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानकर त्रुटि की है कि सामान्य नियमों के नियम 2 में निहित गैर-विषयक खंड के बावजूद विशेष नियम फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती को नियंत्रित करेंगे। हालाँकि, हम इस मुद्दे पर कोई निर्णायक राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझते हैं और इस प्रश्न को उचित मामले में निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं।

26. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है, आक्षेपित आदेश और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है और निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेगे।

बी.बी.बी.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी शिखा पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****